

कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 54/3 रकबा 0.2995 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेख्रमबन्दी व पत्थरगद्दी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2025/529 दिनांक 10/06/2025 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/25/3355 दिनांक 07/08/2025 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

### -:: आदेश ::-


अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रतनपुरा, पटवार हल्का- जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र- जैतारण, तहसील- जैतारण जिला ब्यावर राज0 में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 54/3 रकबा 0.2995 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	देवाराम कटारिया पुत्र दूदाराम कौम गुर्जर निवासी बैड़कलां	54/12	0.0374	बा.दो.	0.01
2.	गणपतपुरी पुत्र पारसपुरी कौम गुसाई सा. जैतारण	54/3	0.0374	बा.दो.	0.01
3.	घेवरपुरी पुत्र छोगापुरी फौत के का.मु. माणकपुरी पुत्र घेवरपुरी 1/2 कौम गुसाई सा. जैतारण कैलाशपुरी पुत्र घेवरपुरी 1/2 कौम गुसाई सा. जैतारण	54/13	0.0750	बा.दो.	0.02
4.	भगवानपुरी पुत्र रतनपुरी कौम गुसाई सा. जैतारण	54/14	0.0374	बा.दो.	0.01
5.	धर्मेन्द्र काला पुत्र पन्नाराम कौम जाट सा. झुझण्डा	54/15	0.0374	बा.दो.	0.01
6.	नाथुपुरी पुत्र छोगापुरी फौत के का.मु. मदनपुरी पुत्र नाथुपुरी, लालपुरी पुत्र नाथुपुरी, जगदीशपुरी पुत्र नाथुपुरी, भीकपुरी पुत्र नाथुपुरी कौम गुसाई सा.	54/16	0.0750	बा.दो.	0.03




(मनोज कुमार मीणा RAS )  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलेक्टर, जैतारण ( ब्यावर )

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काशत में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेखा भण्डार जमा हो।

  
 (पद्मेश कुमारी शर्मा) एवं  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पट्टे  
 अधिकारी एवं पट्टे  
 जिला-ब्यावर (राज०)  
 सहायक कलेक्टर, जेतारण (ब्यावर)



निर्णय दिनांक 10.11.2025 को सर-इजलास सुनाया गया।

  
 (पद्मेश कुमारी शर्मा) एवं  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पट्टे  
 अधिकारी एवं पट्टे  
 जिला-ब्यावर (राज०)  
 सहायक कलेक्टर, जेतारण (ब्यावर)